



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज

कार्यालय आदेश सं०-23

दिनांक-20-11-2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज में कार्यरत समस्त पराविधिक स्वयं सेवकगण एवं पैनल अधिवक्तागण को आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-14727/SUVAS Cell, Allaha bad/Dated-14 November 2025 के अनुपालन में अनुवादित निर्णय के उपयोगिता से जनसामान्य को जागरूक करने हेतु निर्देशित किया गया है। जनसामान्य के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को AI के द्वारा अपनी भाषा में रूपान्तरित किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णयों को AI के माध्यम से रूपान्तरित करने हेतु लिंक <https://www2.allahabadhighcourt.in/misc/suvas/index.html> उपलब्ध कराई गई है। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त लिंक के माध्यम से किसी भी निर्णय को AI के माध्यम से अपनी भाषा में रूपान्तरित कर सकते हैं। आप लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में अधिक से अधिक जनसामान्य को उपरोक्त AI आधारित निर्णय रूपान्तरण के महत्व व लिंक से अवगत करायेंगे। पराविधिक स्वयं सेवकगण अवगत कराये हुये व्यक्तियों के फोटोग्राफ व रजिस्टर नियमित रूप से अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

डि.आर. डी. अ.प.स. / कनिष्ठ
डॉ. अ.प.स. / कनिष्ठ
अ.प.स. / कनिष्ठ

दिनांक-20-11-2025


अपर जिला जज /सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कासगंज।